<u>अति आवश्यक</u>

कार्यालय निदेशक कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर

क्रमांक एफ 20 (101) आभि/बजट प्र./लेखा/निकाशि/2011–12/ दिनांक

1. प्राचार्य,
   समस्त राजकीय महाविद्याल,राजस्थान संगीत संस्थान, स्कूल ऑफ आर्ट
   राजस्थान।
2. सहायक निदेशक,
   क्षेत्रीय कार्यालय कॉलेज शिक्षा, जोधपुर/उदयपुर/अजमेर/कोटा/बीकानेर।
3. कार्यालयाध्यक्ष एवं आहरण वितरण अधिकारी,
   निदेशालय।

विषयः– आधिक्य/बचत पत्र वर्ष 2011–12

महोदय,

विभाग को पिछले वर्षो की भॉति विभिन्न बजट मदों के अन्तर्गत दिनांक 01.04.2011 से 31.03.2012 तक किये जाने वाले व्यय से सम्बन्धित आधिक्य/बचत पत्र वित्त विभाग को भिजवाया जाना है। इस हेतु दिनांक 01.04.2011 से 31.03.2012 तक किये गये मदवार समस्त व्ययों को संकलित किये जाने की कार्यवाही निदेशालय स्तर पर की जानी है।

अतः इस सम्बन्ध में निर्देश दिये जाते हैं कि आपके महाविद्यालय/कार्यालय से सम्बन्धित विभिन्न बजट मदों में किये गये बजट आवंटन के विरूद्ध आप द्वारा दिनांक 01.04.2011 से आदिनांक तक किये गये वास्ततिक व्यय की सूचना कोषालय से मिलान करने के पश्चात संलग्न प्रारूप में विशेष वाहक के साथ आवश्यक रूप से निम्न हस्ताक्षरकर्ता के पास भिजवायें यदि आपके द्वारा भेजी गई सूचना और कोषालय के आकड़ो में यदि भिन्नता पाई जाती है तो इसकी जिम्मेदारी डी.डी.ओं. की निश्चित की जायेगी। इस सम्बन्ध में निम्नांकित बिन्दुओं की और विशेष ध्यान दिया जाये :–

1. आयोजना एवं आयोजना भिन्न मदों हेतु पृथक–पृथक प्रारूप में सूचना कोषालय से आवश्यक रूप से मिलान कर भिजवायें।
2. सेवानिवृत्ति पर देय उपार्जित अवकाशों के नगद भुगतान की राशि को व्यय हेतु इस सूचना में सम्मिलित नही किया जावें। क्योकि इसका भुगतान पेंशन विभाग के मद 2071 से किया जाता है।
3. सूचना सम्बन्धित कर्मचारी लेखाकर्मी जिसने सूचना तैयार की हैं के साथ मय समस्त सम्बन्धित रिकार्ड के ही भिजवायें ताकि यदि कोई समस्या अथवा संशोधन आदि हो तो चर्चा कर समाधान किया जा सके। असम्बन्धित/अनभिज्ञ कर्मचारी के साथ सूचना भिजवाये जाने पर सूचना को स्वीकार नही किया जायेगा न ही सूचना वाहक को राजकीय मद से यात्रा भत्ता दिये जाने की स्वीकृति दी जावेगी।
4. सूचना निर्धारित प्रारूप में निर्धारित तिथि को प्राप्त न होने पर इसे गम्भीरता से लिया जावेगा तथा सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही प्रस्तावित ही जायेगी।
5. आपके महाविद्यालय/कार्यालय से सम्बन्धित समस्त व्यय 16 मार्च 2012 तक कर लेने की सुनिश्चितता अवश्य कर ले, ताकि ऑकड़ो में परिवर्तन की सम्भावना कम से कम रहे।
6. उक्त सूचना प्रस्तुत करने के पश्चात यदि कोई अपरिहार्य व्यय किया जाता है अथवा अतिरिक्त बजट आवंटन के कारण व्यय किया जाता है तो अन्तिम बचत आधिक्य/बचत पत्र दिनांक 31.03.2012 तक फैक्स संख्या 0141–2703897 से अवश्य भिजवाये तथा फैक्स की पुष्टि होने के बाद आयुक्तालय में इस बाबत दूरभाष पर बात करें ताकि इस सम्बन्ध में आवश्यक होने पर कोई पूरक जानकारी भी ली जा सके।

7. आवंटित बजट का सम्पूर्ण उपयोग न होने की स्थिति में बचत की सूचना समय रहते अवश्य भिजवाये ताकि उसका उपयोग अन्य आवश्यकता वाले महाविद्यालयों में किया जा सके राज्य सरकार का समर्पण करने की स्थिति से बचा जा सके।

प्रारूप

कार्यालय/महाविद्यालय का नाम ----------------------------
आयोजना/आयोजना भिन्न

दिनांक ..../03/2012

बजट मद............................

क्र0 सं0	विस्तृत लेखा शीर्ष	विस्तृत बजट मद	कुल आवंटन	वास्तविक व्यय 01.04.11 से 16.04.12 आदिनांक तक	प्रत्याशित व्यय मार्च,12 की शेष अवधि में	कुल व्यय (11-12) (5+6)	आधिक्य राशि (7-4)	बचत राशि (4-7)	कारण आधिक्य/बचत
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

आधिक्य/बचत वर्ष 2011-12 प्रस्तुत करने हेतु कार्यक्रम

क्र0 सं0	दिनांक	महाविद्यालय का नाम
1	19/03	"ए" से "जे" एल्फाबेट से सम्बन्धित समस्त पुरूष महाविद्याय
	20/03	"के" से "जेड" एल्फाबेट से सम्बन्धित समस्त पुरूष महाविद्याय
	21/02	"ए" से "जेड" एल्फाबेट से सम्बन्धित समस्त महिला महाविद्याय
	22/03	समस्त जनजाति उपयोजना क्षेत्र महाविद्यालय/समस्त सहायक निदेशक क्षेत्रीय कार्यालय आयुक्तालय एवं संगीत संस्थान/स्कूल ऑफ आर्टस जयपुर।

नोट एल्फोबेट का अर्थ स्थान से लें जैसे "बी" से बीकानेर/"ए" से अजमेर

भवदीय,

मुख्य लेखाधिकारी
कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर

क्रमांक एफ 20 (101) आभि/बजट प्र./लेखा/निकाशि/2011-12/1904-2050 दिनांक 05/03/12

प्रतिलिपी : . श्री धीरेन्द्र देवर्षी, व्याख्याता को प्रेषित कर लेख है कि कृपया विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

मुख्य लेखाधिकारी
कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर

D:\accounts vibhag\goul ji\latter.doc